पशु/भैंसो मे अनुर्वरता एवं बाझपन निवारण की योजना(राज्य योजना) के सफल कियान्वयन हेतु दिशा निर्देश–

1– पशु/भैंसो मे अनुर्वरता एवं बांझपन निवारण की योजना(राज्य योजना) अन्तर्गत प्रदेश के समस्त जनपदो एवं 9 स्टर्लिटी एण्ड इन्फर्टिलिटी इकाईयो को आच्छादित किया जायेगा।

2– योजनान्तर्गत प्राप्त धनराशि आपको आवंटित की जा चुकी है जिसका व्यय नियमानुसार करना सुनिश्चित करे।

3– योजनान्तर्गत यदि किसी अन्य वित्तीय मद मे धनराशि की आवश्यकता प्रतीत होती है तो योजनाधिकारी सुसंगत प्रस्ताव शासन के संज्ञान मे लाते हुए स्वीकृत हेतु अनुरोध करेगे।

4– बांझपन चिकित्सा शिविर आयोजित करने से पूर्व सम्बन्धित पशुचिकित्साधिकारी/पशुधन प्रसार अधिकारी ग्राम/ग्रामसभा का चयन इस प्रकार से करेगे कि आसपास के ग्रामो के पशु अधिक से अधिक शिविर मे सम्मिलित हो सके।

5– संबंधित पशुचिकित्साधिकारी/पशुधन प्रसार अधिकारी चयनित ग्राम/ग्रामसभा का व्यापक भ्रमण कर पशुपालको को आयोजित होने वाले शिविर के संबंध मे अवगत करायेगे तथा इस कार्य हेतु ग्राम प्रधान/क्षेत्र समिति सदस्य का भी सहयोग लिया जाना अनिवार्य होगा।

6– संबंधित पशुचिकित्साधिकारी/पशुधन प्रसार अधिकारी चयनित ग्राम/ग्रामसभा का व्यापक भ्रमण कर पशुपालको से वार्ता करके उनके द्वारा पाले जा रहे मादा गोवंश/महिषवंश के प्रजनन संबंधी जानकारी ज्ञात करेगे तथा प्रजनन रोग से ग्रसित होने की संभावना पर उक्त पशुपालक को शिविर मे भाग लेने हेतु प्रेरित किया जायेगा।

7– उपरोक्तानुसार ग्राम/ग्रामसभा मे प्रजनन रोग से ग्रसित मादा गोवंश/महिषवंश की कुल संख्या का अनुमान लगाते हुए शिविर हेतु स्थान का चयन एवं व्यवस्था आवश्यक आवश्यकता की व्यवस्था करनी होगी।

पशुचिकित्साधिकारी अपने क्षेत्र मे लगने वाले बांझपन चिकित्सा शिविरो मे समीप के पशु चिकित्साधिकारी/पशुधन प्रसार अधिकारी की सहभागिता हेतु जनपद मे मुख्य पशु चिकित्साधिकारी से अनुरोध करेगे।

चिकित्सा शिविर के आयोजन हेतु एक अतिरिक्त रजिस्टर बनाया जायेगा जिसमे क्रम संख्या, पशुपालक का नाम, पिता का नाम, पशु प्रजाति, उम्र एवं पशुपालक द्वारा बताये गये पशु रोग संबंधी इतिहास का अंकन किया जायेगा।

परीक्षण परिणाम चिकित्सा इसके अतिरिक्त शिविर समाप्त के बाद समरी बनाई जायेगी जिसमे निम्नलिखित बिन्दुओ पर विवरण अंकित किया जायेगा।
कुल गोवंश, कुल महिषवंश, प्राप्त लेवी, गोबर की जांच, खून की जांच से प्राप्त लेवी।

अन्य बांझपन चिकित्सा सूचना पूर्व की भांति प्रचलित प्रारूप पर ही देय होगी।

मुख्य पशुचिकित्साधिकारी के दायित्व

1— जनपदवार आवंटित शिविर को संस्थावार फांट करना।

2— बांझपन चिकित्सा शिविरो की तिथि का निर्धारण संस्थावार करना।

3— शिविरो के आयोजन से पूर्व आवश्यक आवश्यकताए एवं औषधियो की आपूर्ति करना।

4— कुल आवंटित शिविरो के सापेक्ष 10 प्रतिशत शिविरो का स्थलीय निरीक्षण/सत्यापन करना।

5— शिविरो के प्रचार–प्रसार हेतु पशुचिकित्साधिकारी को समुचित साधन व्यवस्था आदि उपलब्ध कराना।

6— जनपद के जिलाधिकारी मुख्य विकास अधिकारी, परियोजना निदेशक, मण्डलीय उपनिदेशक, अपर निदेशक गोधन को तिथिवार, संस्थावार शिविरो के आयोन का रोस्टर उपलब्ध कराना।

7— मासिक बैठको मे इस योजना पर व्यापक चर्चा होगी।

8— निदेशालय से प्रत्येक पशुचिकित्सालय तथा पशु सेवा केन्द्रो पर प्रतिमाह 2 पशु अनुर्वरता शिविर लगाये जाने हेतु निर्देश जारी किये गये थे। मुख्य पशुचिकित्साधिकारी यह सुनिश्चित करेगे कि उक्त आदेशो का अनुपालन हो रहा है कि नही यदि नही तो कडाई से पालन कराये सभी पशुचिकित्साधिकारियो को निर्देशित करे कि पशु सेवा केन्द्रो पर लगने वाले शिविरो पर वह उपस्थित रहे यदि अवकाश पर हो तो समीप के पशुचिकित्साधिकारी को उपस्थित होने हेतु लिखे।

9— जिस ग्राम मे काई पशु अनुर्वरता शिविर लगाया गया है उसी ग्राम मे पुनः कम से कम एक बार अथवा दो शिविर लगाये जाय तथा पूर्ण अभिलेख रखा जाय कि गत माह लगाये गये शिविर से कितना लाभ हुआ यदि आवश्यक हो तो और शिविर लगाये जाये। इस प्रकार पशु अनुर्वरता कार्यग्रम का सफल कियान्वयन हो सके ताकि पशुपालको को योजना का समुचित लाभ मिल सके।

उपनिदेशक के दायित्व

मण्डल अन्तर्गत समस्त जनपद के मुख्य पशुचिकित्साधिकारी को योजना के मूलभूत उद्देश्यो की पूर्ति हेतु व्यापक दिशा–निर्देश देना।

2– मण्डलान्तर्गत समस्त जनपदो को आवंटित बांझपन चिकित्सा शिविरो की संख्या के सापेक्ष 2 प्रतिशत संख्या का स्थलीय निरीक्षण/सत्यापन।

3– व्यापक अनुश्रवण करना।

4– शिविरो की प्रगति एवं उपादेयता से निदेशालय के संज्ञान मे लाया जाना।

योजनान्तर्गत निहित मुख्य बिन्दु–

1– शिविरो का आयोजन सुदूर ग्रामीण अंचलो जहॉ विभागीय संस्थाए उपलब्ध नही है तथा पशुपालक अपने पशुओ को लेकर संस्थाओ पर नही आ पा रहे है का चिन्हिकरण आवश्यक है।

2– क्षेत्रो के चयन के समय यह ध्यान दिया जाना आवश्यक है कि क्षेत्र मे सीमांत भूमिहीन कृषक, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के कितने पशुपालको द्वारा कितने पशुओ का रख–रखाव किया जा रहा है इस संबंध मे यह ध्यान देना आवश्यक है कि इस वर्ग के पशुपालको की सहभागिता शत–प्रतिशत शिविर मे हो जिससे योजना मे निहित उद्देश्यो की यथोचित लाभ प्राप्ति हो सके।

3– अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के पशुपालको का पशुचिकित्सा शिविर रजिस्टर मे अंकन किया जाना अतिआवश्यक है।

अतः क्रम संख्या 7 मे रजिस्टर बनाया जायेगा के सापेक्ष प्रदत्त प्रारूप के अन्त मे वर्णित समरी मे अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के पशुपालको की संख्या का उद्वरण किया जाना आवश्यक होगा।